

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] No. 184] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/SRAVANA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सं. 11/2015—2020

विषय:- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015—20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16, 2.20, 2.51, 2.74 और 2.79 और 2.80 में संशोधन के संबंध में।

- फा. सं. 01/91/180/18 /एएम-17/ई सी.—विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा एफटीपी 2015—20 की प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 और 2.80 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं (किया गया परिवर्तन बड़े अक्षरों में दिया गया है)।
- 2. एफटीपी 2015—20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 और 2.80 को इस प्रकार बदलकर पढ़ा जाएगा :[(उप पैरा 2.51 (ग) और 2.74 (IX) शामिल करने सहित)]
 - " 2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति/सीसीपी की वैधता अवधि
 - (क) आयात/निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता अविध जारी किए जाने की तारीख से इस प्रकार होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो:

क.सं.	प्राधिकार पत्र का प्रकार	वैधता अवधि
(i)	प्रतिबंधित (गैर-स्कोमेट) वस्तुओं के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	12 माह
(ii)	स्कोमेट मदों के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	24 माह
(iii)	प्रतिबंधित मदों और सीसीपी के लिए आयात प्राधिकार पत्र	18 माह
(iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	18 माह

4534 GI/2017 (1)

(v)	मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)	परियोजना पूरा होने की संविदा अवधि की सह—मियादी अथवा 12 माह, जो भी अधिक हो।
(vi)	एए (उपर्युक्त (v) को छोड़कर), डीएफआईए, एफटीपी के अध्याय–4 के अनुसार रत्न एवं आभूषण हेतु पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र	जारी किए जाने की तारीख से 12 माह।

- (ख) तथापि, एक्जिम सरलीकरण समिति (ईएफसी) (गैर स्कोमेट मदों हेतु) तथा अंतर्मत्रालयी कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) (गैर स्कोमेट मदों हेतु) संविदात्मक दायित्वों / डिलीवरी कार्यक्रम को पूरा करने अथवा संबंधित तकनीकी / प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग अथवा अन्य किसी अभिकरण की सिफारिश पर विशिष्ट मामलों में अल्प / दीर्ध अविध हेतु निर्यात प्राधिकार—पत्र जारी करने का अनुमोदन कर सकता है।
- 2.20 गैर-स्कोमेट और स्कोमेट मदों के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति का पुनः वैधीकरण
- (क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने पर इसका 6 महीनों के लिए पुनःवैधीकरण कर सकता है।
- (ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी स्कोमेट मदों सिहत निर्यात प्राधिकार पत्र की अविध का गुणावगुण के आधार पर एक समय 6 महीने के लिए और अधिकतम 12 महीनों के लिए पुनःवैधीकरण कर सकता है। तथापि ऐसे मामले जहां प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.16 (ख) के अंतर्गत निर्यात प्राधिकार पत्र की अविध को कम/अधिक करना अनुमत है इनमें समयाविध में बढ़ोतरी/पुनवैधीकरण की अनुमित केवल डीजीएफटी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (ग) तथापि, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक तथा बिक्री प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि इनकी वैधता सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी**/अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी** के पास होते हुए ही समाप्त न हो गयी हो।
- 2.51 निर्यात आयात सरलीकरण समिति
- (क) प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनकी ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय/क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र प्रदान करते समय सरलीकरण समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं। तकनीकी प्राधिकारियों से भी लिखित में सलाह लेकर सहायता ली जा सकती है। सरलीकरण समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
- (ख) यदि सक्षम प्राधिकारी निदेश देता है तो प्रतिबंधित मद के लिए आयात प्राधिकार पत्र, आवेदक द्वारा लिखित रूप से बताये गये विकल्प के अनुसार किसी समुद्री पत्तन या हवाई अड्डे अथवा आई.सी.डी अथवा एल.सी.एस के माध्यम से आयात हेतु जारी किये जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारक आयात प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र में निर्दिट पत्तन पर पंजीकृत करवायेगा और इसके बाद सभी आयात केवल इसी पत्तन के माध्यम से उक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे किये जाएंगे जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य पत्तन से आयात करने के बारे में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त नहीं कर लेता।
- (ग) आयात निर्यात सरलीकरण सिमिति (ईएफसी) की सामान्यतः प्रत्येक महीने एक बार बैठक होगी। जहां संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे मामले को ईएफसी में आस्थिगित किया गया है, परंतु बाद में विचारों में कोई भिन्नता नहीं होने के साथ संबंधित एजेंसी (यों) से अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए है, तो वहां अध्यक्ष, ईएफसी के अनुमोदन से प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा और मामले को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन के लिए ईएफसी की इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

2.74 अतंर-मंत्रालयी कार्य दलः

विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित अन्तर मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट स्कोमेट मदों के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगाः

- I. स्कोमेट सूची पर निर्यात मदों या प्रौद्योगिकी के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदनों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता है:
 - (क) अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्योरे, मद या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोग की घौंणाओं की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अन्तिम प्रयोक्ता तक मद की सुपूर्दगी की श्रृखंला में पारदर्शिता और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है और जो भारत की रौट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक गैर—प्रसार के लक्ष्यों व उद्देश्यों या भारत के वे दायित्व जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों/समझौता के तहत जिनकी यह देश के पक्षकार हैं, के अनुरुप नहीं है;
 - (ख) मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें आतंकवादी, आतंकवादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती हैं;
 - (ग) प्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;
 - (घ) हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्तकर्त्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएँ और उद्देश्य;
 - (ड.) मद (मदों) के अन्तिम प्रयोग (प्रयोगों) का मूल्यांकन;
 - (च) संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते और व्यवस्थाओं के प्रावधानों की प्रयोज्यता जिसमें भारत एक पक्षकार अथवा समर्थक हो, परंतु साथ ही समय—समय पर यथा अद्यतित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली, आस्ट्रेलियन समूह और वासेनार समझौते (तथा इसकी संवेदनशील सूची तथा अति संवेदनशील सूची) के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों तक समिति नहीं हैं।
- II. आवेदन पत्र को (परिशिष्ट 2ध (i) 2ध (ii) अथवा 2ध (iii) के अनुसार) निर्धारित प्रपत्र में एक वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित हो कि:-
 - (क) मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा;
 - (ख) भारत सरकार की मंजूरी के बिना न तो मदों को या न ही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा;
 - (ग) अन्तिम प्रयोक्ता, वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक होगा।
- III. अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र आयात की जाने वाली मद का नाम, आयातक का नाम, संबंधित वस्तुओं का परिशिष्ट अंतिम प्रयोग और खरीद आदेश/संविदा के विवरण को दर्शाएगा।
- IV. भारत सरकार प्राप्तकर्ता के राज्य से अंतिम प्रयोग और गैर पुनः स्थानांतरण सहित अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन जो उपयुक्त माने जाते हो, को भी प्राप्त कर सकती है।
- V.(क) आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में पण्य पहचान टिप्पणी के श्रेणी-0 और नोट 2 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु उर्जा विभाग है। परमाणु उर्जा विभाग द्वारा परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के तहत लागू दिशानिर्देश अधिसूचित हैं। श्रेणी-0 की कुछ मदों के लिए, प्राप्तकर्त्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभिकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी-0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि हस्तांतरण अतिरिक्त रम से उचित वास्तविक संरक्षण के तहत और उचित अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमित नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

- (ख) आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में श्रेणी 6 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण रक्षा उत्पादन विभाग है। श्रेणी 6 में उल्लिखित मदों का निर्यात रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में 'पण्य पहचान टिप्पण' की टिप्पणी 3 में शामिल मदों का निर्यात निषिद्ध है।
- VI. मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएँ, जो अन्यत्र उपयोग अथवा व्यापक विध्वंस के हथियारों के विकास या विनिर्माण या की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के रम में प्रयुक्त होने की संभावना रखती हैं।
- VII. सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए स्कोमैट सूची (श्रेणी 0,1, 2 और 6 के तहत सूची को छोड़कर) की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु किसी वर्ग में 'प्रौद्योगिकी' के लिए कोई निर्यात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आईएमडब्ल्युजी आवश्यक समझे जाने पर तकनीकी अभिकरणों से टिप्पणियां प्राप्त कर सकता है।
- VIII. ईरान को निर्यात हेतु स्कोमेट सूची की श्रेणी 0,3 (3घ के अतिरिक्त), 4,5 और 7 की मदों हेतु प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231 (2015) के अनुलग्नक ख में उल्लिखित संबंद्ध प्रावधानों के अधीन होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात डीजीएफटी अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग, जैसा मामला हो, आईएमडब्ल्यूजी प्रक्रिया अर्थात लागू आतंरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले (डी एवं आईएसए) प्रभाग, जैसा आवश्यक हो, से स्वीकृति प्राप्त करेगा
- IX. अतंर—मंत्रालयी कार्य दल की सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी। ऐसे मामले में जो आईएमडब्ल्यूजी में आस्थिगित किया जाता है और तदोपरांत सभी संबंधित अभिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र/पत्रों के बिना किसी असहमति के प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी की स्वीकृति से जारी किया जाएगा तथा मामले को आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामला/मामले जिन पर आईएमडब्ल्यूजी में निर्णय नहीं लिया जा सका हो उन्हें प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2.79 पुनः आदेश जारी करने हेतु प्राधिकार-पत्र का निर्गम

स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु पुनः आदेश जारी करने के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु आवेदनों को स्वतः आधार पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इस मामले को कार्योत्तर आधार पर मंजूरी के लिए आईएमडब्ल्यूजी में इसकी आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगाः—

- (i) (क) तकनीकी ब्यौरे के साथ उत्पाद (ख) निर्यातक (ग) विदेशी क्रेता (घ) प्रेर्तिती अथवा मध्यवर्ती, यदि कोई हो (ड.) अन्तिम प्रयोक्ता (च) अन्तिम प्रयोग (छ) गंतव्य देश, समान होंगे।
- (ii) पुनः निर्यात प्राधिकार पत्र के निमित्त अनुमत मात्रा संगत उत्पाद, अन्तिम प्रयोक्ता द्वारा यथाप्रमाणित, के संबंध में अन्तिम प्रयोक्ता की वार्ोिक विनिर्माण क्षमता के अधीन मूल प्राधिकार पत्र की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
- (iii) मूल स्कोमेट प्राधिकार पत्र के आईएमडब्ल्यूजी के द्वारा अनुमोदन की तारीख से दो वीं के भीतर प्रस्तुत किए गए आवेदन ही पुनः प्राधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे।
- (iv) मूल प्राधिकार पत्र के निमित्त दो पुनः प्राधिकार पत्र की सीमा होगी।
- (v) ऊपर (i) से (iv) के अनुसार पुनः आदेश मार्ग के तहत विचारार्थ आवेदन के साथ पात्रता शर्तों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा एक घौंगा प्रस्तुत करनी होगी।"
- 2.80 स्कोमेट प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण

स्कोमेट मदों हेत् निर्यात प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण पैरा 2.20(ख) के अनुसार किया जाएगा।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार नीति 2015—20 की प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा सं. 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 और 2.80 को संशोधित किया गया है।

आलोक वर्धनचतुर्वेदी, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th Julty, 2017

No. 11/(2015—2020)

- Subject:- Amendment in paras 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 and 2.80 of the Handbook of Procedures (HBP) of Foreign Trade Policy (FTP) 2015- 20 regarding.
- **F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-20, the Director General of Foreign Trade, hereby makes amendments in paras 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 and 2.80 of the Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20, with immediate effect (**changes made are in bold letters**).
- 2. The revised paras 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 and 2.80 of the HBP of FTP 2015-20 would be substituted to read as under [including addition of sub para 2.51(c) and 2.74(IX)]:
 - "2.16 Validity period of Authorisation/ Licence/ Certificate/ Authorisation/ Permissions/ CCPs
 - a) Validity period of Import / Export Authorizations from the date of issue shall be as follows, unless specified otherwise:

Sr. No	Type of Authorisation	Validity Period
(i)	Export Authorisation for restricted (Non SCOMET) goods	12 months
(ii)	Export Authorisation for SCOMET items	24 months.
(iii)	Import Authorisation for restricted items and CCP	18 months.
(iv)	EPCG Authorisation	18 months.
(v)	Advance Authorisation (AA) for Deemed Export	Coterminous with contracted duration of project execution or 12 months, whichever is more.
(vi)	AA {except (v) above}, DFIA, Replenishment Authorisation for Gems & Jewellery as per Chapter 4 of FTP.	12 months from issue date.

- b) However, EXIM Facilitation Committee (EFC) (for non-SCOMET items) and Inter Ministerial Working Group (IMWG) (for SCOMET items) may approve the grant of Export Authorisation for a shorter / longer duration in specific cases to meet contractual obligations/delivery schedule or on specific recommendation of the concerned Technical / Administrative Ministry / Department / or any other agency.
- 2.20 Revalidation of Import/ Export Licence Certificate/Authorisation/ Permissions for Non-SCOMET and SCOMET items
- a) RA concerned may revalidate import authorisation on merits for six months from date of expiry of validity.
- b) Export Authorisation, including for SCOMET items, may be revalidated, on merits, for a period of six months at a time and maximum upto 12 months by the RA concerned. However, any extension / revalidation shall be allowed only by DGFT in cases where shorter / longer duration of export authorisation has been permitted under Paragraph 2.16(b) of Handbook of Procedures.
- c) However, revalidation of freely transferable authorization / duty credit scrips and stock and sale authorization shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs Authority / RA / or any other Government Authority.

2.51 EXIM Facilitation Committee

- (a) Restricted item Authorisation may be granted by DGFTor any other RA authorised by him in this behalf. DGFT/RA may take assistance and advice of a Facilitation Committee while granting authorization. The Assistance of technical authorities may also be taken by seeking their comments in writing. Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments /Ministries concerned.
- (b) Import authorizations for a restricted item, if so directed by the competent authority, shall be issued for import through one of the sea ports or air ports or ICDs or LCS, as per the option indicated, in writing, by the applicant. Authorization holder shall register the import authorisation at the port specified in the Authorization and thereafter all imports against said authorization shall be made only through that port, unless the authorization holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port.
- (c) EXIM Facilitation Committee (EFC) shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in EFC for want of comments from the Technical Authorities and Departments /Ministries concerned but subsequently, NOC(s) has / have been received from the concerned agency(ies) with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, EFC and the case shall be brought before EFC in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.

2.74 Inter-Ministerial Working Group:

An Inter-Ministerial Working Group (IMWG) in DGFT (Hqrs.) shall consider applications for export of SCOMET items as specified in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items based on following guidelines:

- I. Applications for Authorisation to export items or technology on SCOMET List are considered on the basis of following general criteria:
 - a. Credential of end-user, credibility of declaration of end-use of the item or technology, integrity of chain of transmission of item from supplier to end-user, and on potential of the item or technology, including timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, goals and

- objectives of global non-proliferation, or India's obligations under International treaties/ Agreements to which it is a State party.
- b. Assessed risk that exported items will fall into hands of terrorists, terrorist groups, and non-State actors;
- c. Export control measures instituted by the recipient State;
- d. Capabilities and objectives of programmes of the recipient State relating to weapons and their delivery;
- e. Assessment of end-use(s) of item(s);
- f Applicability of provisions of relevant bilateral or multilateral Agreements and Arrangements, to which India is a party, or adherent, including but not limited to the guidelines and control lists of the Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Australia Group and Wassenaar Arrangement (and its Sensitive List and Very Sensitive List) as updated from time to time.
- II. Application shall be accompanied by an end user certificate (EUC) in the prescribed proforma, as applicable [Appendix 2S(i), 2S(ii) or 2S(iii)], certifying that:
 - a. The item will be used only for stated purpose and that such use will not be changed, nor items modified or replicated without consent of Government of India;
 - b. Neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be re-transferred without consent of Government of India;
 - c. End-user shall facilitate such verifications as are required by Government of India.
- III. The end-user certificate will indicate the name of the item to be exported, the name of the importer, the specific end-use of the subject goods and details of Purchase Order/Contract.
- IV. Government of India may also require additional formal assurances, as deemed appropriate, including those on end-use and non-retransfer, from the State of the recipient.
- V. (a) Licensing authority for items in Category 0 and Note 2 of the 'Commodity Identification Note' in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Atomic Energy. Applicable guidelines are notified by the Department of Atomic Energy under Atomic Energy Act,1962. For certain items in Category 0, formal assurances from the recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Authorisations for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.
 - (b) Licensing authority for items in Category 6 in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Defence Production. Export of items in Category 6 is governed by the extant Standard Operating Procedure issued by the Department of Defence Production in the Ministry of Defence. Export of items covered in Note 3 of the 'Commodity Identification Note' in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is prohibited.
- VI. Additional end-use conditions may be stipulated in Authorisations for export of items or technology that bear possibility of diversion to or use in development or manufacture of, or use as, systems capable of delivery of weapons of mass destruction.
- VII. Authorisations for export of items in SCOMET List (other than those under Category 0, 1, 2 & 6) solely for purposes of display or exhibition shall not require any end-use or end-user certification. However, no export Authorisation for display or exhibition shall be issued for Technology' in any category. IMWG would seek comments from technical agencies as deemed necessary.
- VIII. Authorization for export of items in Categories 0, 3 (other than 3D), 4, 5 and 7 of the SCOMET list to Iran would be subject to the relevant provisions contained in Annex B to the UN Security Council resolution 2231 (2015). The licensing authority, i.e. DGFT or Department of Atomic Energy,

as the case may be, on completion of the IMWG process or the applicable internal process, shall seek the concurrence of Disarmament and International Security Affairs (D&ISA) Division in the Ministry of External Affairs, as required.

IX. The Inter Ministerial Working Group shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in the IMWG and subsequently, NOC(s) has/have been received from all concerned agencies with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, IMWG and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis. Case(s), where a decision could not be arrived in IMWG, shall be placed before Director General of Foreign Trade for appropriate decision on grant of authorization.

2.79 Issue of authorization for repeat orders

Applications for grant of authorizations for repeat orders for export of SCOMET items shall be approved by Chairman IMWG on automatic basis and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis. The approval will be subject to the fulfillment of the following criteria:

- (i) (a) the product along with the technical specification (b) the exporter (c) the foreign buyer (d) the consignee or the intermediaries, if any (e) the end user (f) the end use and (g) the country of destination; shall be same.
- (ii) The permitted quantity against repeat export authorizations shall not be more than 2 times of the quantity in original authorization, subject to the annual manufacturing capacity of the end user in respect of the relevant product, as certified by the end user.
- (iii) Only the applications submitted within two years from the date of approval by IMWG of the original SCOMET authorization will be eligible for repeat authorization.
- (iv) There shall be a cap of two repeat authorizations against the original authorization.
- (v) A declaration by the authorized signatory on the qualifying conditions as per (i) to (iv) above shall be submitted along with the application for consideration under the repeat order route".
- 2.80 Revalidation of SCOMET authorization

Revalidation of export authorisation for SCOMET items will be governed in terms of Paragraph 2.20(b)".

3. Effect of this Public Notice:

Para No. 2.16, 2.20, 2.51, 2.74, 2.79 and 2.80 of the Handbook of Procedures of FTP 2015- 20 have been amended.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General